218/2019

करण सिंह vs तहसीलदार

दावा

21/12/20 वकील पक्षकारान उपस्थित। आदेशिका दि. 01/12/20 को वकील पक्षकारान की बहस को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत थी, बहस सुने 15 दिनों से अधिक होने के कारण पत्रावली पुनः माजिद बहस में ली जाती है। वकील पक्षकारान द्वारा बहस करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान की बहस को सुना गया। बाद अवलोकन पत्रावली व मनन बहस वादीगण का वाद बमो

राजीनामानुसार स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल रहे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली के सदर शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) ...

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 218/2014
प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 12/11/2014
निर्णय दिनांक : 21/12/2020

1. करणसिंह
2. गोविन्द सिंह
3. मानसिंह
4. हनुवन्तसिंह

पुत्रान मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

–बनाम–

1. तहसीलदार महोदय, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. श्रीमती जमनादेवी धर्मपत्नी जीवणराम, जाति मीणा, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. मनीष गोयल पुत्र सुभाषचन्द गोयल, जाति अग्रवाल महाजन, निवासी एच–25, चितरंजन मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राज0।
4. सरजूदेवी पत्नी चौथमल, जाति श्रीमाल, जाति महाजन, निवासी दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज0।
5. राजनदेवी पत्नी अमरचन्द गोयल, जाति महाजन, निवासी दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज0।
6. कजोड पुत्र गंगाराम,
7. फूलचन्द पुत्र प्रभू
8. कालू पुत्र प्रभू
9. श्रीमती मन्जू पुत्री प्रभू

समस्त जातियान रैगर निवासीगण ग्राम गजसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

10. श्रीमती छोटा पत्नी प्रभू (नाम हजफ किया गया)
11. रामप्रताप पुत्र गंगाराम,
12. सबरजिस्ट्रार महोदय, मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

-- वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा --

उपस्थिति – श्री कन्हैयालाल सैनी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

श्री दीपेन्द्र कुमावत
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3
प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध कार्यवाही
एकतरफा अमल में लायी गयी।
श्री राधेश्याम लक्षकार
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 ल. 9 व 11
प्रतिवादी संख्या 10 का नाम हजफ हो चुका हैं।
अप्रार्थी संख्या 1 व 12 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21/12/2020

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 40, 45, 47, 49, 50 कुल किता 05 कुल रकबा 3.89 हैक्टेयर वाके ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जो वर्तमान में वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं तथा आराजी खतौनी संख्या 21 के आराजी खसरा नम्बर 57, 58, 59 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9000 हैक्टेयर जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हैं। आराजी खतौनी संख्या 32 के आराजी खसरा नम्बर 31, 43, 48 व 44 कुल किता 04 कुल रकबा 4.55 हैक्टेयर वाके ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। विवादित आराजीयात जिसके साबिक एवं हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार है :–

हाल खसरा नम्बर	रकबा	साबिक खसरा नम्बर	रकबा
40	0.86	47	0.86
47	0.60	43/1	0.60
49	0.88	48	0.88
48	0.55	43/2	0.55
58	0.01	59 मिन	0.01
59	0.47	59 मिन	0.47
57	0.42	58	0.42

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 43/1, 44, 47, 48, 49, 58, 59, 43/2 के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा आराजीयात के नवीन खसरा नम्बर 40, 47, 49, 48, 58, 59, 57 के रूप में कायम किये गये, वादीगण की आराजीयात के अन्य खसरा नम्बर तो साबिक तरमीम के अनुसार दर्ज

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

कर दिये गये, परन्तु आराजी खसरा नम्बर 47 एवं 49 की नवीन तरमीम साबिक रिकार्ड के अनुसार तथा मौके के कब्जे के अनुसार नही करते हुये गलत रूप से प्रतिवादीगण की आराजीयात के खसरा नम्बर दर्ज कर दिये गये। नवीन नक्शा ट्रेस तरमीम में वादीगण के हाल आराजी खसरा नम्बर 47 जिस पर गलत रूप से वादीगण का रकबा नक्शा ट्रेस में कम करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 के आराजी खसरा नम्बर 48 दर्ज कर दिये गये। जो साबिक रिकार्ड एवं मौके के कब्जे के विपरीत जाकर किये गये हैं तथा वादीगण के हाल आराजी खसरा नम्बर 49 के नक्शे में तरमीम पूर्व रिकार्ड के विपरीत गलत रूप से दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 2 की आराजी खसरा नम्बर 59, 58 दर्ज कर दिये गये है, जो गलत रूप से दर्ज किये गये है तथा इस प्रकार की त्रुटि करने का किसी प्रकार का अधिकार सैटलमेन्ट कर्मचारियों को नही था, बावजूद इसके उक्त त्रुटि हाल नक्शा ट्रेस में कर दी गयी, जिसको दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी हैं। हाल ही में नवीन सैटलमेन्ट कर्मियों द्वारा साबिक रिकार्ड एवं मौके के कब्जे के विपरीत जाकर वादी के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 47 एवं 49 की तरमीम साबिक रिकार्ड के विपरीत नक्शा ट्रेस में गलत रूप से रकबा कम करते हुये प्रतिवादीगण की आराजीयात दर्ज कर दी गयी तथा बिना किसी प्राधिकारी आदेश के इस प्रकार की गलत तरमीम का किसी प्रकार का अधिकार सैटलमेन्ट कर्मचारियों को नही था। वादी को नक्शा ट्रेस में हुई तरमीम की जानकारी नही हुई, परन्तु हाल ही में दिनांक 10/11/2014 वादी जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई, इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को गलत तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत आग्रह किया तो जिस पर इन्कार हो जाने के कारण वादी को वाद–पत्र घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी हुआ हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री किया जाकर वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 47, 48, 49, 59, 58 की हाल नक्शा ट्रेस में नवीन तरमीम को हजफ फरमायी जाकर मौके पर कब्जा अनुसार तथा साबिक रिकार्ड के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र का पैरा संख्या 1 को गलत तरमीम के

सहायक कलक्टर

आधार पर वादीगण को कब्जे से बेदखल नही करें न कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 03/07/2015 को प्रतिवादी संख्या 1/पैरोकार की रिपोर्ट प्राप्त हुयी जो शामिल मिसल की गयी। दिनांक 28/08/2017 को प्रतिवादी संख्या 6 ल. 9 व 11 की ओर से श्री राधेश्याम लक्षकार, श्री नानूराम धाभाई एडवोकेट्स द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री दीपेन्द्र कुमावत द्वारा वकालतनामा व दस्तावेज सूची पेश की गयी। जो शामिल मिसल की गयी।

दिनांक 14/03/2018 प्रतिवादी संख्या 3 का जवाब पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 07/01/2019 को प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 30/01/2019 को प्रतिवादी संख्या 6 ल. 9 व 11 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 10 पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 ल. 9 व 11 द्वारा दस्तावेज सूची किता–2 पेश की गयी जो शामिल मिसल की गयी।

दिनांक 05/02/2019 को जवाब प्रार्थना–पत्र नाम हजफ प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। दिनांक 18/03/2019 को प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 10 स्वीकार किया गया। लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये गये।

दिनांक 24/08/2020 को तनकीयात कायम की गयी एवं वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 1 करण सिंह, पीडब्ल्यू 2 गजराज सिंह का पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 05/10/2020 को वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 6 ल. 9 व 11 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद जांच कार्यवाही तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 ल. 9 व 11 की बहस सुनी गयी। हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 ल. 9 व 11 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 21 सम्वत 2068 से 2071, जमाबन्दी खतौनी संख्या 21 सम्वत 2068 से 2071, जमाबन्दी खतौनी संख्या 32 जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071, खतौनी संख्या 54 जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071, नकल जमाबन्दी साबिक सम्वत 2044 से 2047, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षैत्रफल एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 6 ल. 9 व 11 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं वादी तथा प्रतिवादी संख्या 6 ल. 9 व 11 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का तथा पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि तहसीलदार तहसील मौजमाबाद द्वारा अपने जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया है "ग्राम गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 47 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.88 वादी की खातेदारी व खसरा नम्बर 57 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर पतिवादी संख्या 2 के नाम व खसरा नम्बर 48 रकबा 0.5500 हैक्टेयर प्रतिवादी सख्या 3 ल. 11 के नाम से दर्ज हैं। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल एवं पूर्व नक्शा ट्रेस में तरमीम के अनुसार हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.5500 हैक्टेयर के बजाय खसरा नम्बर 47 रकबा 0.60 हैक्टेयर होना सही है तथा खसरा नम्बर हाल 47 रकबा 0.60 के बजाय खसरा नम्बर 48 रकबा 0.5500 हैक्टेयर होना सही हैं। हाल खसरा नम्बर 49 रकबा 0.8800 हैक्टेयर रकबा बरारी से वर्तमान नक्शा ट्रेस में 0.06 हैक्टेयर कम है, जो वर्तमान खसरा नम्बर 59 के पूर्वी मेड की तरफ आता है, वर्तमान खसरा नम्बर 58 व 59 का रकबा 0.48 हैक्टेयर नक्शा ट्रेस में 0.06 हैक्टेर अधिक आता हैं। अतः शुद्धि योग्य है।"

इस प्रकार प्रकार अवलोकन से यह पाया जाता है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 43/1, 44, 47, 48, 49, 58, 59, 43/2 जिसके नवीन खसरा नम्बर 40, 47, 49, 48, 58, 59, 57 के रूप में कायम किये गये, वादीगण की आराजीयात के अन्य खसरा नम्बर तो साबिक तरमीम के अनुसार दर्ज कर दिये गये, परन्तु आराजी खसरा नम्बर 47 एवं 49 की नवीन तरमीम साबिक रिकार्ड के अनुसार तथा मौके के कब्जे के अनुसार नही करते हुये गलत रूप से प्रतिवादीगण की आराजीयात के खसरा नम्बर दर्ज कर दिये गये। नवीन नक्शा ट्रेस तरमीम में वादीगण के हाल आराजी खसरा नम्बर 47 जिस पर गलत रूप से वादीगण का रकबा नक्शा ट्रेस में कम करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 के आराजी खसरा नम्बर 48 दर्ज कर दिये

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

गये। जो साबिक रिकार्ड एवं मौके के कब्जे के विपरीत जाकर किये गये हैं तथा वादीगण के हाल आराजी खसरा नम्बर 49 के नक्शे में तरमीम पूर्व रिकार्ड के विपरीत गलत रूप से दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 2 की आराजी खसरा नम्बर 59, 58 दर्ज कर दिये गये है, जो राजस्व कारकुनानों की गलती से गलत दर्ज किया जाना पाया जाता हैं। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 47, 48, 49, 59, 58 की तरमीम हाल नक्शा ट्रेस में कब्जा अनुसार एवं साबिक रिकार्ड अनुसार व रकबे अनुसार नही होना पायी जाती हैं, पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा भी हो चुका है एवं राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर पूर्ण सहमति दी हैं। तहसीलदार मौजमाबाद ने भी अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब में उक्त त्रुटि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये शुद्धि योग्य अनुशंषा की हैं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 47, 48, 49, 59, 58 वाके ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील मौजमाबाद के हाल नक्शा ट्रेस की हाल तरमीम हजफ की जाकर मौके पर काबिज अनुसार एवं साबिक रिकार्ड के अनुसार नवीन तरमीम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर (राज0)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31: 42

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

दालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम

जास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

ंह ② गोविन्द सिंह ③ मान सिंह ④ ① तहसीलदार मौजमाबाद ② जमनादेवी

सेंह पुत्रान मदनसिंह जाति राजपूत बनाम ③ मनीष गोयल ④ सरजुदेवी ⑤ रजनीदेवी

महलां तह॰ मौजमाबाद दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व अन्य प्रतिवादीगण

फुर राज॰

मुकदमा नं. 218/2014 सन

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री॰ कन्हैयालाल सैनी Adv. वादीगण

जेरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री दीपेन्द्र कुमावत Adv. प्रतिवादी

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

रा प्रस्तुत वाद-पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी हाल नम्बर 47, 48, 49, 59, 58 वाके ग्राम गिरधारीपुरा तह॰ मौजमाबाद के हाल नक्शा ट्रेस ल तरमीम हजफ की जाकर मौके पर काबिज अनुसार एवं साबिक रिकॉर्ड के अनुसार रमीम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

मुवलिग बाबत

ी इस मुकद्दमे के मय सूद बशरह फीसदी ... मा आज की तारीख से

ख अदायगी तक ... का अदा करे।

दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 12 सन 2020 को

री की गई।

दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

र

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
हन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
...गवाहान			फीस कमिश्नर		
ीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
फरिक					
मीजान			मीजान		

इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।